आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

9.06.14

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 152/13–14

हीरालाल यादव वनाम् सुदर्शन यादव एवं अन्य

आदेश

आवेदक हीरालाल यादव पिता स्व० रूपण यादव साकिन पुरैनिया थाना किंजर, जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर आवेदक के अधिकार का प्रख्यापन एवं नापी कराकर पीलरींग कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम पुरैनिया शेख थाना नं० 46,थाना वो अंचल करपी, जिला अरवल मे अवस्थित है निम्न है:–

खाता	प्लॉट	रकवा	चौहद्दी
113/175	229/158	4 डी०	उतर–नीज, दक्षिण–सुदर्शन यादव,अन्य पूरब–नीज, पश्चिम–आहर
173	157	13 डी०	उतर–मृत्युंजय,दक्षिण–नीज,पूरब–जयनंदन, पश्चिम–आहर
160	155	5 डी०	उतर–सुदामा यादव, दक्षिण–सुदामा यादव वो सुदर्शन यादव,पूरब–वीला यादव, पश्चिम–नीज

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) खाता नं० 113/175 प्लॉट नं० 229/158 रकवा 4 डी० भूमि को वादी के बड़े भाई मुनीलाल यादव ने दिनांक 15.02.1984 को निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदा है,प्राप्ति के उपरान्त वादी हीरालाल यादव उर्फ चन्देश्वर यादव को अपने बड़े भाई मुनीलाल यादव से बॅटवारा से बॅटकर प्राप्त है और उस पर मकान बनाकर रह रहे है। उसी समय से वादी उक्त भूमि पर लगातार दखल काबिज रहे है। इस वर्ष प्रतिवादीगण बलपूर्वक उक्त भूमि के मेड़ को काटकर बढ़ गये है जिसके वजह उक्त भूमि पर सीमा विवाद कायम हो गया है।

(2) खाता नं० 173 प्लॉट नं० 157 कुल रकवा 13 डी० में से 7 डी० जमीन वादी एवं उनके भाई के नाम से निबंधित केवाला है जो बिक्रेता रामाधार सिंह से दिनांक 12.11.01 को वादी को प्राप्त हुआ है। उसी खाता प्लॉट की 6 डी० खतियानी जमीन वादी को बॅटवारा में प्राप्त हुआ है और वादी के कब्जा में है।

(3) खाता नं० 160 प्लॉट नं० 155 रकवा 5 डी० जमीन वादी तीन भाई मिलकर संयुक्त रूप से जमीन बीबी मदीना खातुन से दिनांक 20.04.1988 को निबंधित केवाला से प्राप्त किये है।

(4) प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल प्रतिउतर एवं बहस के दौरान वाद में अंकित भूमि पर किसी प्रकार का दावा नहीं किया गया,न कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया सिर्फ प्रतिवादी के द्वारा अंचल अमीन के द्वारा पीलर गड़वाने की बात न्यायालय में कही

गई है,वह भी काल्पनिक है।

(5) अंचल अधिकारी को जमीन नापी कराने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है,इसलिए प्रतिवादी का तर्क बिल्कूल निराधार है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोषों को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) पूर्व में विवादित भूमि पर वादी द्वारा अंचलअधिकारी करपी के न्यायालय में नापी कराने हेतु आवेदन दिया,जिसके आलोक में नापी कराकर पीलरींग करा दी गई है।

(2) नापी में स्पष्ट लिखा गया है कि आवेदक का जमीन नक्सा से तीनों प्लॉट मिलाकर 21 डी० होता है और आवेदक 22 डी० पर मुकदमा किया है। नापी कराकर स्थायी पीलर गाड़ दी गई है जो वर्तमान में भी मौजूद है।

(3) वादी अगर नापी से संतुष्ट नही थे,तो सीमांकन अपीलवाद दायर करना चाहिए था।

(4) प्रश्नगत् भूमि पर पूर्व में नापी के उपरान्त वादी के द्वारा आवासीय मकान बनाया गया है,आवासीय मकान के पीछे मुखिया के फण्ड द्वारा सरकारी नाली बनायी गई है,नाली के बाद प्रतिवादी का मकान बना हुआ है।

उपरोक्त तत्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है। आवेदक ने विवादित भूमि पर अधिकार का प्रख्यापन एवं नापी कराकर पीलरींग कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि खाता नं० 173 प्लॉट नं० 157 रकवा 13 डी० एवं खाता नं० 160 प्लॉट नं० 155 रकवा 5 डी० में आवेदक एवं उनके भाईयों के नाम खरीदगी एवं खतियानी भूमि है। आवेदक के अन्य भाई इस वाद में पक्षकार नही है। अतः उपरोक्त भूमि पर सिर्फ आवेदक के अधिकार का प्रख्यापन नही किया जा सकता है।

विवादित भूमि खाता नं० 113/175 प्लॉट नं० 229/158 रकवा 4 डी० आवेदक के बड़े भाई मुनीलाल यादव के नाम खरीदगी भूमि है। आवेदक का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें भाईयों से बॅटकर हिस्सा में मिला है,जिसपर वे मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे है। इस बात की पुष्टि केता मुनीलाल यादव ने अपने शपथ पत्र के माध्यम से भी किया है। अतः प्राधिकार सिर्फ विवादित भूमि खाता नं० 113/175 प्लॉट नं० 229/158 रकवा 4 डी० पर आवेदक के अधिकारों का प्रख्यापन करती है और नापी कराकर पीलरींग कराने का आदेश देती है। प्राधिकार अंचल अधिकारी करपी को आदेश देती है कि वे एक माह के बाद विवादित भूमि का नापी कराकर पीलरींग करायें। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी करपी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

9.06

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

9.06

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।